रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 10, 1987/आश्विन 18, 1909
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 10, 1987/ASVINA 18, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1987

सा. का. नि. 742:—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) समूह "ख" पद भर्ती नियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) समूह ख पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) समूह ख पद भर्ती नियम, 1965 की अनुसूची में,—

(क) अधीक्षक (विधि) के पद के सामने स्तंभ 6 (क) में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"हां, केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए"

(ख) सहायक (विधि) के पद के सामने स्तंभ 6(क) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"हां, केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए"

[फा. सं. ए. 12018/8/85-प्रशा. 1 (वि. कार्य विभाग)]

पी. पी. शर्मा, उप सचिव

मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 8 तारीख 1-1-66 के अधीन प्रकाशित किए गए थे।

बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए:—

1 सा. का. नि. 925 तारीख 24-5-1966
2 सा. का. नि. 1066 तारीख 1-6-1970
3. सा. का. नि. 1592 तारीख 23-12-1972
4 सा. का. नि. 1185 तारीख 10-6-1978
5. सा. का. नि. 476 तारीख 18-5-1985

87/1204 GI—1

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1987

सा. का. नि. 759 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 को, जहां तक उसका संबंध ज्येष्ठ स्वागत अधिकारी और रखवाल के पदों से है, और आकाशवाणी (कनिष्ठ स्वागत अधिकारी) भर्ती नियम 1983 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन, आकाशवाणी में समूह "ग" पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. ज्येष्ठ स्वागत अधिकारी	1* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1400-40-1,800 द.रो. 50-2300 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हताएं	शैक्षिक और अन्य सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा या विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : (i) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय काडर के ऐसे सहायकों या समतुल्य में से जो नियमित आधार पर कार्य कर रहे हैं।

11	12
	(ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा काडर के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक या समतुल्य जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2. फिल्म स्वागत अधिकारी	8* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननु-सचिवीय	1200-30-1560-द.रो.-40-2040 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण आकाशवाणी केन्द्रों/कार्यालयों/दूरदर्शन केन्द्रों के पदों के लिए (i) राज्यों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों / कार्यालयों / दूरदर्शन केन्द्रों के ऐसे लिपिक श्रेणी I/ वरिष्ठ भण्डारियों में से जो नियमित आधार पर कार्य कर रहे हैं ; या ii) ऐसे लिपिक श्रेणी 2 या समतुल्य जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर 8 वर्ष सेवा की है। आकाशवाणी महानिदेशालय के पदों के लिए i) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा काडर के उच्च श्रेणी लिपिकों में है ; या ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा काडर के ऐसे निम्न श्रेणी लिपिकों में से जिन्होंने उच्च श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
रखवाल	*11 (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1200-30-1560-द.रो.-40-2040-रु.	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण आकाशवाणी केन्द्रों/कार्यालयों/दूरदर्शन केन्द्रों के पदों के लिए (i) राज्यों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों/कार्यालयों और दूरदर्शन केन्द्रों के ऐसे लिपिक श्रेणी I/कनिष्ठ भंडारियों में से जो नियमित आधार पर कार्य कर रहे हैं; या (ii) ऐसे लिपिक श्रेणी 2 या समतुल्य जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर 8 वर्ष सेवा की है। आकाशवाणी महानिदेशालय के पदों के लिए (i) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा काडर के उच्च श्रेणी लिपिकों में से ; या (ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा काडर के ऐसे निम्न श्रेणी लिपिकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

टिप्पण: मूल नियम जिन्हें आकाशवाणी (समूह "ग") भर्ती नियम 1964 कहा गया है सा. का. नि. संख्या 1776 तारीख 30-11-64 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किया गया :—

1. अधिसूचना संख्या 11/5/64-बी (ए), तारीख 9-8-1965
2. अधिसूचना संख्या 5/2/67-बी (ए), तारीख 20-3-1967
3. अधिसूचना संख्या 7/2/68-बी (ए), तारीख 14-6-1968
4. अधिसूचना संख्या 7/8/68-बी (ए) तारीख 31-1-1970
5. अधिसूचना संख्या 20/8/67-बी (ए), तारीख 18-3-1971
6. अधिसूचना संख्या 1/7/70-बी (ए), तारीख 18-3-1971
7. अधिसूचना संख्या 16/20/69-बी (ए), तारीख 30-3-1970,
8. अधिसूचना संख्या 1/8/71-बी (ए), तारीख 29-1-1972
9. अधिसूचना संख्या 1/8/71-बी (ए), तारीख 2-2-1972
10. अधिसूचना संख्या 1/11/71-बी (ए), तारीख 5-5-1972
11. अधिसूचना संख्या 1/4/72-बी (ए) तारीख 16-6-1972
12. अधिसूचना संख्या 1/7/71-बी (ए), तारीख 14-11-1972
13. अधिसूचना संख्या 1/6/73-बी (ए), तारीख 23-5-1973
14. अधिसूचना संख्या 1/11/73-बी (ए), तारीख 29-6-1973
15. अधिसूचना संख्या 1/5/73-बी (ए), तारीख 20-8-1973
16. अधिसूचना संख्या 1/7/70-बी (ए), तारीख 15-5-1974
17. अधिसूचना संख्या 1/7/70-बी (ए), तारीख 8-8-1974
18. अधिसूचना संख्या 1/3/74-बी (ए), तारीख 21-5-1975
19. अधिसूचना संख्या 12019/1/78-बी (ए), तारीख 17-12-1980
20. अधिसूचना संख्या 12019/3/80-बी (ए), तारीख 27-4-1981
21. अधिसूचना संख्या 12019/8/81-बी (ए), तारीख 17-5-1982
22. अधिसूचना संख्या 12019/8/81-बी (ए), तारीख 11-4-1983
23. अधिसूचना संख्या 45011/83/82-बी (ए), तारीख 19-9-1983
24. अधिसूचना संख्या 3/25/83-सी. आर. सी. आर./एस. II एस. 4/ए. आई. आर./बी (ए) तारीख 2-6-1987

[संख्या 7/5/83-सी. आर. /आर/एस II/ए. आई. आर. बी (ए)]

कश्मीरी लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 10th September, 1987

G.S.R. 759.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in suppression of the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the posts of Senior Reception Officer and Caretaker and the All India Radio (Junior Reception Officer) Recruitment Rules, 1983 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the All India Radio under the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Radio, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification, and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Senior Reception Officer	1* (1987) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

10	11	12	13	14
Not applicable	Transfer on deputation	Transfer on deputation : (i) from amongst Assistants of Central Secretariat cadre of the Ministry of Information and Broadcasting working on regular basis or equivalent; or (ii) Upper Division Clerks in the Central Secretariat Clerical Service cadre of the Ministry of Information and Broadcasting or equivalent with 5 years' service in the grade on regular basis. Note : Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/ department shall ordinarily not exceed 3 years	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Junior Reception Officer	8* (1987) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

10	11	12	13	14
Not applicable	Transfer on deputation	Transfer on deputation : For posts in AIR Stations/Offices/ Doordarshan Kendras (i) from amongst Clerk Grade I/Junior Storekeepers of All India Radio Stations/	Not applicable	Not applicable

10	11	12	13	14
		Offices and Doordarshan Kendras working on regular basis located within the State; or (ii) Clerk Grade II or equivalent with 8 years service in the grade on regular basis. For posts in the Directorate General, All India Radio (i) from amongst Upper Division clerks in the Central Secretariat Clerical Service cadre of the Ministry of Information and Broadcasting; or (ii) Lower Division Clerks in the Central Secretariat Clerical Service cadre of the Ministry of Information and Broadcasting with 8 years' service in the grade. Note : Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Caretaker	11*(1987) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

10	11	12	13	14
Not applicable	Transfer on deputation	Transfer on deputation For posts in AIR Stations/Offices and Doordarshan Kendras (i) from amongst Clerk Grade I/ Junior Storekeeper of All India Radio Stations/ Offices and Doordarshan Kendras working on regular basis located within the State: or (ii) Clerk Grade II or equivalent with 8 years service in the grade on regular basis. For posts in the Directorate General, All India Radio (i) from amongst Upper Division Clerks in the Central Secretariat Clrical Service cadre of the Ministry of Information and Broadcasting; or (ii) Lower Division Clerks in the Central Secretariat Clerical Service cadre of the Ministry of Information and Broadcasting with 8 years service in the grade. Note : Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years.	Not applicable	Not applicable

Note : Principal Rules called the All India Radio (Group 'C') Recruitment Rules, 1964, were notified vide G.S.R. No. 1176 dated 30-11-1964 and subsequently the following amendments have been notified:

1. Notification No. 11/5/64-B(A), dated 9-8-1965
2. No. 5/2/67-B(A), dated 20-3-1967
3. No. 7/2/68-B(A), dated 14-6-1968
4. No. 7/8/66-B(A), dated 31-1-1970
5. No. 20/8/67-B(A), dated 24-2-1970

6. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 18-3-1971
7. " No. 16/20/69-B(A), dated 30-3-1970
8. " No. 1/8/71-B(A), dated 29-1-1972
9. " No. 1/8/71-B(A), dated 2-2-1972
10. " No. 1/11/71-B(A), dated 5-5-1972
11. " No. 1/4/72-B(A), dated 16-6-1972
12. " No. 1/7/71-B(A), dated 14-11-1972
13. " No. 1/6/73-B(A), dated 23-5-1973
14. " No. 1/11/73-B(A), dated 29-6-1973
15. " No. 1/5/73-B(A), dated 20-8-1973
16. " No. 1/7/70-B(A), dated 15-5-1974
17. " No. 1/7/70-B(A), dated 8-8-1974
18. " No. 1/3/74-B(A), dated 21-5-1976
19. " No. 12019/1/78-B(A), dated 17-12-1980
20. " No. 12019/3/80-B(A), dated 27-4-1981
21. " No. 12019/8/81-B(A), dated 17-5-1982
22. " No. 12019/4/81-B(A), dated 11-4-1983
23. " No. 45011/83/82-B(A), dated 19-9-1983
24. " No. 3/25/83-CRCR/S.II/AIR/B(A) dated 2-6-1987
25. " No. 2/7/83-CRCR/S II/B(A), dated
26. " No. 7/5/83-CRCR/S. II/B(A), dated
27. " No. 7/13/86-AR/B(A), dated
28. " No. 14/19/85-S.II/S. IV/B(A), dated

[No. 7/5/86-AR/AIR/B(A)]
KASHMIRI LAL, Under Secy.

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1987

सा. का. नि. 760.—संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति कृपा पूर्वक संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने मे रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकोनोमिक सर्विसिज लि. (राइट्स) और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कं. लि. (इरकान) के लिए काउन्टर गारंटी देने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों को अपनी शक्ति प्रत्यायोजित करते है, परन्तु शर्त यह है कि किसी भी समय सरकारी क्षेत्र के दोनों उपक्रमों में से प्रत्येक के लिए 200 करोड़ रुपए की समग्र सीमा होनी चाहिए।

1. कार्यकारी निदेशक —50 लाख रुपए से कम की व्यष्टिक गारंटियां
2. बोर्ड के सदस्य —50 लाख रुपए या अधिक और 10 करोड़ रुपए तक की व्यष्टिक गारंटियां
3. मंत्री —10 करोड़ रुपए से अधिक की व्यष्टिक गारंटियां।

[सं. 86/पी एल/68/31]
एस. एम. वैश, सचिव, रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

New Delhi, the 16th September, 1987

G.S.R. 760.—In exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 77 of the Constitution, the President is pleased to delegate his power to the following authorities to give counter guarantees for Rail India Technical & Economic Services Ltd. (RITES) & Indian Railway Construction Company Ltd. (IRCON) in exercise of the executive power of the Union, subject to the condition that there should be overall limit of Rs. 200 crores for each of the two Public Sector Undertakings at any point of time.

1. Executive Director — Individual guarantees of less than Rs. 50 lakhs.
2. Member of the Board — Individual guarantees of Rs. 50 lakhs or more and upto Rs. 10 crores.
3. Minister — Individual guarantees above Rs. 10 crores.

[No. 86/PL/68/31]
S. M. VAISH, Secy. Railway Board

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1987

सा. का. नि. 761.—केन्द्रीय सरकार, शिक्षुता अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त, शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय शिक्षुता परिषद से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षुता नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षुता नियम, 1962 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम, 5 के उपनियम (1) में,—

(1) समूह सं. 2 —संधानी व्यवसाय समूह, शीर्षक के नीचे क्रम सं. 1 (पैटर्न मेकर) के सामने, स्तम्भ 2 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"819.20" :

(2) समूह 3, धातु कर्म व्यवसाय समूह शीर्षक के नीचे, क्रम सं. 1 (लोहार) और स्तम्भ 1 तथा 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी अर्थात:

"1. लोहार और उष्मोपचारक 723.80, 726.90, 831.10, 831.30, 831.50";